

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

67वीं बोर्ड बैठक

विचाराधीन विषयों
की सूची

दिनांक : 10 अगस्त, 2022

समय : अपरान्ह 3.30 बजे

स्थान : सभागार, सर्किट हाऊस,
सहारनपुर।

विषय सूची

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	पृष्ठ सं०
67/01	दिनांक 11.05.2022 को सम्पन्न हुई 66वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	1 - 3
67/02	ट्रांसपोर्ट नगर के कतिपय कारणों से कुछ विवादित भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में पूर्व पारित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के संबंध में।	4 - 14
67/03	राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भूउपयोग परिवर्तन/ संशोधन कराये जाने के संबंध में।	15 - 19
67/04	सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव।	20 - 31
67/05	विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व शमन मानचित्र संख्या 601/2018-19/जोन-4 स0वि0प्रा0 बनाम श्रीमती आकांक्षा ठकराल के द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।	32 - 39
67/06	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 67/01

विषय : दिनांक 11.05.2022 को सम्पन्न हुई 66वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या
66/01	दिनांक 03.01.2022 को सम्पन्न हुई 64वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	मा० बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
	दिनांक 08.04.2022 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 65वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन किया जा रहा है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
66/02	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ें एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्यय अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
66/03	सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पैनल पर मा० सर्वोच्च न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय/ मा० सिविल न्यायालय, सहारनपुर/मा० आयुक्त न्यायालय आदि में तैनात अधिवक्ताओं की फीस निर्धारित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव विचारोपरान्त मा० बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
66/04	आवासीय भूखण्डों में बहु-आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।	मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
66/05	ट्रांसपोर्ट नगर के कतिपय कारणों से कुछ विवादित भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में।	मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	पुनः संशोधित प्रस्ताव एजेन्डा संख्या-67/02 पर प्रस्तुत है।







अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या
अन्य विषय-01	<p>उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा आईटम संख्या 59/03 पर अमलगेशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें मा० बोर्ड द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी नियमावली एवं प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्तुति सहित निर्देशित किया गया कि नियमावली को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाये।</p> <p>उक्त के क्रम में प्रस्ताव को स्वीकृति/मार्गदर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 858/स०वि०प्रा०/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020, पत्रांक 4002/स०वि०प्रा०/2020-21 दिनांक 15.12.2021, पत्रांक 4693/स०वि०प्रा०/2020-21 दिनांक 01.02.2021, पत्रांक 5036/स०वि०प्रा०/2020-21 दिनांक 05 मार्च, 2021, पत्र संख्या 1971/स०वि०प्रा०/2021-22 दिनांक 23 सितम्बर, 2021, पत्र संख्या 262/स०वि०प्रा०/2022-23 दिनांक 09 मई, 2022 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया तथा कार्यालय के पत्र संख्या 1658/स०वि०प्रा०/2021-22 दिनांक 04 सितम्बर, 2021 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ को अभिमत एवं शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। किन्तु अभी तक शासन तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।</p>	<p>इस संबंध में मा० बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अमलगेशन के संबंध में मेरठ एवं अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनायी जा रही प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हुए पूर्व बोर्ड बैठक के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
अन्य विषय-02	<p>उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण में लैण्ड बैंक सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया जिससे प्राधिकरण सुनियोजित विकास सुनिश्चित कर सके तथा प्राधिकरण की स्वयं की स्थिति सुदृढ हो सके। उपाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लैण्ड बैंक सृजन में भूमि क्रय एवं विकास कार्य हेतु ऋण भी लेना होगा।</p>	<p>इस संबंध में मा० बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि एक फिजिबिलिटी एनालिसिस कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>विकास क्षेत्र में लैण्ड बैंक के सृजन के संबंध में विभिन्न मार्गों पर भूमि चयन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि के चयन के पश्चात फिजिबिलिटी एनालिसिस कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।</p>

Shukla

Shukla

Shukla

<p>अन्य विषय-03</p>	<p>उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध कालोनी के विनियमितीकरण हेतु 44 कालोनियों पर कार्यवाही की जा रही है जिनके सर्वे पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कालोनियों के सर्वे प्रक्रिया हेतु टेण्डर की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जा रही है।</p>	<p>इस संबंध में मा0 बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण संबंधी सुविचारित प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>विनियमितीकरण हेतु 44 कालोनियों की सर्वेक्षण मानचित्र का भू-उपयोग, सीलिंग भूमि, महायोजना मार्ग, चकरोड तथा तालाब, सरकारी भूमि के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। वर्ष 2008 में नियमितीकरण हेतु चिन्हित कालोनियों में से 67 कालोनियों के सर्वेक्षण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा सर्वेक्षण कार्य मौके पर प्रगति में है।</p>
-------------------------	--	--	---

Sharma

[Signature]

[Signature]

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या 67/02

विषय : ट्रांसपोर्ट नगर के कतिपय कारणों से कुछ विवादित भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में पूर्व पारित प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के संबंध में।

कृपया विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा आईटम संख्या 66/05 पर पारित प्रस्ताव(संलग्नक-1) का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट नगर में विवादयुक्त भूखण्डों के निराकरण हेतु निम्न निर्णय लिया गया था :-

"1- 55 वर्गमीटर की 04 विवादित संपत्तियों- सी-07, सी-08, सी-09, सी-11 हेतु 04 संपत्तियों- सी-525, सी-655, सी-657 व सी-671 को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित करते हुए इन 04 आरक्षित भूखण्डों में लॉटरी के माध्यम से विवादित संपत्तियों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर पुनः आवंटन पत्र जारी करने एवं विवादित संपत्तियों के पूर्व आवंटन पत्रों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

2- 250 वर्गमीटर की 03 विवादित संपत्तियों- बी-16, बी-21, बी-25 हेतु भूखण्ड सं० ई-23, जी-73, जे-73 को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित करते हुए इन 03 आरक्षित भूखण्डों में लॉटरी के माध्यम से विवादित संपत्तियों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर पुनः आवंटन पत्र जारी करने एवं पूर्व आवंटन निबंधन/कब्जे की कार्यवाही को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।"

उक्त के अनुपालन में 250 वर्गमी० के 03 विवादित संपत्तियों के संबंध में आवेदकों को लाटरी हेतु दिनांक 24.05.22 नियत की गयी। नियत तिथि पर तीनों आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र(संलग्नक-2) के माध्यम से अवगत कराया गया कि भूखण्ड संख्या 73जी का क्षेत्रफल कम होने व आकार सही/चौकोर न होने के कारण उसके अलग करते हुए अन्य भूखण्ड को सम्मिलित कर लाटरी करायी जाये। आवंटियों के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लिया गया (संलग्नक-3) कि भूखण्ड संख्या 73जी (क्षे० 214.76 वर्गमी०) को लॉटरी से पृथक करते हुए उसके स्थान पर भूखण्ड संख्या 73डी को सम्मिलित कर लिया जाये। साथ ही भूखण्ड संख्या 73डी के ले-आउट में दर्शित क्षेत्रफल 282.92 वर्गमी० में से उतना ही क्षेत्रफल आवंटित किया जाए जितना विवादग्रस्त संपत्ति के आवंटन पत्र/रजिस्ट्री में उल्लिखित हो तथा शेष क्षेत्रफल निकट के प्लॉट में वर्तमान प्रचलित दर पर समायोजित किया जाए जिससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय क्षति न हो।

भूखण्ड संख्या 73ई, 73जे एवं 73डी की लाटरी तीनों विवादग्रस्त आवेदकों के मध्य की गयी। लाटरी का परिणाम निम्नानुसार रहा (संलग्नक-4) :-

क्र. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड सं०	पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड की सं०	परिवर्तित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का बड़ा क्षेत्रफल
1	श्री नरेन्द्र कुमार	बी-16	250 वर्गमी०	73(जे)	258.38 वर्गमी०	8.38 वर्गमी०
2	श्री प्रदीप पंवार	बी-21	246.16 वर्गमी०	73(ई)	244.17 वर्गमी०	1.99 वर्गमी० कम
3	श्री दिनेश कुमार	बी-25	246.33 वर्गमी०	73(डी)	282.02 वर्गमी०	35.69 वर्गमी०

भूखण्ड संख्या बी-25 एवं बी-21 की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसलिए भूखण्ड संख्या बी-25 की रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड संख्या 73डी में से जो अतिरिक्त भूमि 35.69 वर्गमी० अवशेष रहती है उसे 73एफ के आवंटी द्वारा वर्तमान दर पर लेने हेतु सहमति दी गयी है। वर्तमान दर पर भूमि दिये जाने पर कोई वित्तीय क्षति नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार भूखण्ड संख्या 73जी के स्थान पर भूखण्ड संख्या 73डी को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए लॉटरी के परिणाम के अनुमोदन हेतु एवं भूखण्ड संख्या 73डी के अतिरिक्त क्षेत्रफल की भूमि को वर्तमान दर पर भूखण्ड संख्या 73एफ के आवेदक को आवंटित करने तथा उक्त से योजना के तलपट मानचित्र पर होने वाले आंशिक संशोधन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Deu
21/05/22

11/5/22
10/5

66/05

ट्रांसपोर्ट नगर के कतिपय कारणों से कुछ विवादित भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में।

उपाध्यक्ष महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 500/पी0ए0 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के क्रम में ट्रांसपोर्ट नगर के कतिपय कारणों से कुछ विवादित भूखण्डों के निस्तारण हेतु निम्न समिति गठित की गयी :-

- 1- सचिव
 - 2- अधिशासी अभियन्ता
 - 3- सम्पत्ति अधिकारी/सहायक अभियन्ता (श्री डी0के0शर्मा)
- उक्त गठित समिति द्वारा निम्न आख्या प्रस्तुत की गयी है (संलग्नक- 05.1) :-

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

"मा0 सिविल न्यायालय, सहारनपुर में विचारणीय मूल वाद संख्या 430/2003 राकेश कैमिकल्स एवं अन्य बनाम सहारनपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य में पारित आदेश निवेद्याज्ञा दिनांक 14.02.2002 के कारण कतिपय सम्पत्तियों के आवंटियों को कब्जा प्रदान नहीं किया जा सका था। दिनांक 21.10.2021 को सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित वाद अदम पैरवी में खारिज किया गया। विपक्षी द्वारा मूल वाद में पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर वर्तमान में सुनवाई प्रचलित है। विपक्षी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में मूल वाद खारिज होने के बाद पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान रिट पेटिशन भी दायर की गयी। रिट पेटिशन 6370/2021 राकेश कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अन्य बनाम सहारनपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2021 में निम्न आदेश पारित किया गया -

"Since court below vide its order dated 14.02.2007 granted interim protection in favour of the petitioners, the aforesaid is continuing in favour of the petitioners till the next date of listing."

उक्त याचिका में सुनवाई चल रही है। इस मध्य विपक्षी द्वारा उपाध्यक्ष एवं सचिव, स0वि0प्रा0 के विरुद्ध अमानना याचिका भी दायर की जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20.01.2022 के क्रम में उपाध्यक्ष एवं सचिव सहारनपुर विकास प्राधिकरण दिनांक 22 फरवरी, 2022 को मा0 उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अमानना कार्यवाही तददिनांक पर मा0 न्यायालय द्वारा समाप्त की गई। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 17.11.2021 के कारण आवंटियों को मौके पर कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जा पा रही है। आवंटियों द्वारा भूखण्ड का समस्त भुगतान भी प्राधिकरण कोष में जमा कराया जा चुका है और आवंटित भूखण्डों के स्थल विवादित होने के कारण योजना में अन्यत्र भूखण्ड दिलाने की मांग की जा रही है।

उक्त वर्णित वाद में ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निम्नवत क्षेत्र/भूखण्ड प्रभावित है :-

क्रम संख्या	भूखण्ड सं0	आवटी का नाम	अनुमानित क्षे0 (वर्गमी0 में)	टिपणी
1	बी-04	श्री अशोक कुमार	250	उक्त भूखण्ड का परिवर्तन पूर्व में भूखण्ड सं0 बी-69 में किया गया था। कोई

मा0 बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

2	बी-05	-	250	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। रिफण्ड से रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3	बी-06	-	250	रिफण्ड से रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4	सी-07	श्री दूनीचंद तनेजा	55	भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा अन्य रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।
5	सी-08	श्री जीवन तनेजा	55	भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा अन्य रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।
6	सी-09	श्री आदेश कुमार	55	भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा अन्य रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।
7	सी-10			रिफण्ड से रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8	सी-11	श्री विक्रम सिंह	55	भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा अन्य रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।
9	सी-12 (वयोसक)	आवंटन नहीं	10.57	भूखण्ड रिक्त है कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
10	सी-13 (वयोसक)	आवंटन नहीं	10.57	भूखण्ड रिक्त है कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
11	बी-15	श्री भजन साहनी	250	निबन्धन के पश्चात स्थल पर निर्माण विद्यमान है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
12	बी-16	श्री नरेन्द्र कुमार	250	भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा अन्य रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।
13	बी-17	श्री विजय भाटिया	250	पूर्व में भूखण्ड सं0 बी-305 में परिवर्तन किया गया। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
14	बी-18	श्री राजेश भाटिया	250	पूर्व में भूखण्ड सं0 बी-310 में परिवर्तन किया गया। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

14

15	बी-19	श्रीमति सुनारा	250	भूखण्ड सं0 बी-112 में परिवर्तन किया गया। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
16	बी-20	श्री मदनलाल	250	विवादित क्षेत्र को छोड़कर शेष भूखण्ड का निबन्धन किया गया। स्थल पर निर्माण विद्यमान है। मौके पर व्यवसायिक क्रिया की जा रही है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
17	बी-21	श्री प्रदीप पंवार	250	भूखण्ड का निबन्धन/कब्जा दिया जा चुका है। प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तथा विपक्षी को निषेधाज्ञा प्राप्त है। जिस कारण मा0 राकेश कैमिकल के स्वामी द्वारा निर्माण नहीं करने दिये जा रहा है। आवटी के द्वारा भूखण्ड परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।
18	बी-22	श्री हंसराज खुराना	250	निबन्धन/कब्जा विवादित क्षेत्रफल 11.88 वर्गमीटर को छोड़कर दिया गया है। भूखण्ड परिवर्तन हेतु आवेदन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
19	बी-23	श्रीमति पूनम कोहली	250	पूर्व में भूखण्ड सं0 बी-308 में परिवर्तन किया गया। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
20	बी-24	श्री ब्रजलाल	250	भूखण्ड सं बी-281 में परिवर्तन किया गया। भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
21	बी-25	श्री दिनेश कुमार	250	मा0 उच्च न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.11.2021 के उपरान्त राकेश कैमिकल द्वारा भूखण्ड पर कब्जा परिवर्तन किया गया। आवटी द्वारा भूखण्ड का परिवर्तन अन्य रिक्त भूखण्ड में कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया।
22	बी-26	श्री विकास गुप्ता	250	वर्ष 2008 निबन्धन/कब्जा किया गया स्थल पर निर्माण विद्यमान है। दुकानों निर्मित है तथा व्यवसायिक क्रिया चल रही है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

14

उपरोक्त तालिका के अनुसार विवादित क्षेत्र में स्थित निम्न भूखण्डों का अन्य रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन किया जाना है। इन भूखण्ड के आवंटियों द्वारा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये हैं -

क्रम सं०	भूखण्ड सं०	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1	सी-07	55 वर्ग मीटर	निबन्धन नहीं।
2	सी-08	55 वर्ग मीटर	निबन्धन नहीं।
3	सी-09	55 वर्ग मीटर	निबन्धन नहीं।
4	सी-11	55 वर्ग मीटर	निबन्धन नहीं।
5	बी-16	250 वर्ग मीटर	निबन्धन नहीं।
6	बी-21	250 वर्ग मीटर	निबन्धन हो चुका है।
7	बी-25	250 वर्ग मीटर	निबन्धन हो चुका है।

विवादित क्षेत्र में आवंटियों द्वारा परिवर्तन हेतु प्रार्थना के क्रम में निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है :-

1- (क) 55 वर्ग मीटर की 04 विवादित सम्पत्तियों- सी-07, सी-08, सी-09, सी-11 का आवंटियों के पक्ष में निबंधन नहीं हुआ है।

(ख) ट्रांसपोर्ट नगर के लेआउट में 55 वर्गमीटर की 16 सम्पत्तियों रिक्त है। इनमें से 04 सम्पत्तियों- सी-525, सी-655, सी-657 व सी-671 को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित किया जाना उचित होगा।

(ग) इन 04 आरक्षित भूखण्डों में लॉटरी के माध्यम से विवादित सम्पत्तियों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर ही पुनः आवंटन पत्र जारी किया जा सकता है। साथ ही पूर्व में हुए आवंटन को निरस्त करना होगा।

(क) 250 वर्गमीटर की 03 सम्पत्तियों- बी-16, बी-21, बी-25 विवादित है।

(ख) उक्त विवादित सम्पत्तियों के समान ही 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आसपास की

03 सम्पत्तियों लेआउट में अभी रिक्त है -

- (i) भूखण्ड सं० ई-73 क्षेत्रफल 244.17 वर्गमी०
- (ii) भूखण्ड सं० जी-73 क्षेत्रफल 214.76 वर्गमी०
- (iii) भूखण्ड सं० जे-73 क्षेत्रफल 258.38 वर्गमी०

उक्त भूखण्डों को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित किया जाना उचित होगा।

(ग) इन 03 आरक्षित भूखण्डों से लॉटरी के माध्यम से विवादित भूखण्डों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर ही पुनः आवंटन पत्र जारी दिया जा सकता है।

(घ) साथ ही पूर्व में हुए आवंटन को निरस्त करना होगा एवं भूखण्ड सं० बी-21 व बी-25 के संबंध में पूर्व में हुई निबंधन एवं कब्जे की कार्यवाही को भी निरस्त करना होगा।

- 1- 55 वर्गमीटर की 04 विवादित संपत्तियों- सी-07, सी-08, सी-09, सी-11 हेतु 04 संपत्तियों- सी-525, सी-655, सी-657 व सी-671 को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित करते हुए इन 04 आरक्षित भूखण्डों में लॉटरी के माध्यम से विवादित संपत्तियों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर पुनः आवंटन पत्र जारी करने एवं विवादित संपत्तियों के पूर्व आवंटन पत्रों को निरस्त करने हेतु विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।
- 2- 250 वर्गमीटर की 03 विवादित संपत्तियों- बी-16, बी-21, बी-25 हेतु भूखण्ड सं0 ई-23, जी-73, जे-73 को भूखण्ड परिवर्तन हेतु आरक्षित करते हुए इन 03 आरक्षित भूखण्डों में लॉटरी के माध्यम से विवादित संपत्तियों के आवंटियों के मध्य आवंटन की कार्यवाही कर भूखण्ड परिवर्तन करते हुए पूर्व आवंटित दर पर पुनः आवंटन पत्र जारी करने एवं पूर्व आवंटन निबंधन/कब्जे की कार्यवाही को निरस्त करने का प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

सूचना आईएम सं0	विषय	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
254	<p>उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 59वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा आईएम संख्या 59/03 पर अमलगेशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें मा0 बोर्ड द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी नियमावली एवं प्रस्ताव का अवलोकन कर संस्तुति सहित निर्देशित किया गया कि नियमावली को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जाये।</p> <p>उक्त के क्रम में प्रस्ताव को स्वीकृति/मार्गदर्शन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 858/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 20 अगस्त, 2020, पत्रांक 4002/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 15.12.2021, पत्रांक 4693/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 01.02.2021, पत्रांक 5036/स0वि0प्रा0/2020-21 दिनांक 05 मार्च, 2021, पत्र संख्या 1971/स0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 23 सितम्बर, 2021, पत्र संख्या 262/स0वि0प्रा0/2022-23 दिनांक 09 मई, 2022 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया तथा कार्यालय के पत्र संख्या 1658/स0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 04 सितम्बर, 2021 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ को अभिमत एवं शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। किन्तु अभी तक शासन तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।</p>	<p>इस संबंध में मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अमलगेशन के संबंध में मेरठ एवं अन्य विकास प्राधिकरणों में अपनायी जा रही प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हुए पूर्व बोर्ड बैठक के प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>

254

सेवा में,

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

महोदय,


अवगत कराना है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत राकेश कैमिकल से विवादित भूखण्डों को अन्य रिक्त/आरक्षित भूखण्ड 73ई, 73जी और 73जे के मध्य आवंटन किया जाना था जिसके संबंध में आपके कार्यालय से पत्र संख्या 364/स0वि0प्रा0/2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 प्राप्त हुआ है। कार्यालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें से 73जी का क्षेत्रफल कम होने एवं भूखण्ड चौकोर न होने के कारण मैं इस भूखण्ड को लेने में सहमत नहीं हूँ। यदि इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य कोई भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन करने की कार्यवाही की जाती है तो मैं उसके लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। यदि सम्मिलित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल मेरे आवंटित भूखण्ड से अधिक होता है तो उसका भुगतान वर्तमान कीमत पर करने के लिए मैं सहमत हूँ।

सचिव/AE
putup anjali

Yrc
24/5/22

सम्पत्ति अधिकारी


24/5/22

प्रार्थी

94/5/22

नरेन्द्र कुमार
गोपाल नगर, सहारनपुर।

9359381586

सेवा में,

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

महोदय,

अवगत कराना है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत राकेश कैमिकल से विवादित भूखण्डों को अन्य रिक्त/आरक्षित भूखण्ड 73ई, 73जी और 73जे के मध्य आवंटन किया जाना था जिसके संबंध में आपके कार्यालय से पत्र संख्या 358/स0वि0प्रा0/2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 प्राप्त हुआ है। कार्यालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें से 73जी का क्षेत्रफल कम होने एवं भूखण्ड चौकोर न होने के कारण मैं इस भूखण्ड को लेने में सहमत नहीं हूँ। यदि इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य कोई भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन करने की कार्यवाही की जाती है तो मैं उसके लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। यदि सम्मिलित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल मेरे आवंटित भूखण्ड से अधिक होता है तो उसका भुगतान वर्तमान कीमत पर करने के लिए मैं सहमत हूँ।

प्रार्थी

दिनेश कुमार

दिनेश कुमार

एसि0/ए

put up on file

*Y ve
21/05/2022*

24/05/2022

सम्पत्ति अधीन

24/05/2022

9218630973

सेवा में,

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

महोदय,

अवगत कराना है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत राकेश कैमिकल से विवादित भूखण्डों को अन्य रिक्त/आरक्षित भूखण्ड 73ई, 73जी और 73जे के मध्य आवंटन किया जाना था जिसके संबंध में आपके कार्यालय से पत्र संख्या 359/स0वि0प्रा0/2022-23 दिनांक 19 मई, 2022 प्राप्त हुआ है। कार्यालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें से 73जी का क्षेत्रफल कम होने एवं भूखण्ड चौकोर न होने के कारण मैं इस भूखण्ड को लेने में सहमत नहीं हूँ। यदि इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य कोई भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन करने की कार्यवाही की जाती है तो मैं उसके लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। यदि सम्मिलित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल मेरे आवंटित भूखण्ड से अधिक होता है तो उसका भुगतान वर्तमान कीमत पर करने के लिए मैं सहमत हूँ।

अखिल/AE

प्रदीप पंवार

24/5/2022

24/05/2022

सम्पत्ति अधिकारी

24/5/2022

24/5/2022

प्रार्थी

24/5/2022

प्रदीप पंवार

लेबर कालोनी, सहारनपुर।

7037311555


7037311555


सम्पत्ति अधिकारी / 158 / FAO / एनिस / 34/11/22 24/5/22


ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत राकेश कैमिकल से विवादित भूखण्डों को अन्य भूखण्डों में परिवर्तित किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड-वैडक के एजेन्डा आईटम संख्या-64/5 के परिपेक्ष में श्रेणी बी के भूखण्ड संख्या- 73 J, 73 E एवं 73 G आरक्षित किये गये थे, किन्तु आवंटियों द्वारा भूखण्ड संख्या- 73 G को भूखण्ड का आकार सही न होने के कारण लेने हेतु असहमति प्रदान की गयी। इन आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया कि भूखण्ड संख्या- 73 G के स्थान पर अन्य भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः भूखण्ड संख्या-73 G के स्थान पर अन्य भूखण्ड परिवर्तन हेतु शामिल किये जाने के निर्णयार्थ उपाध्यक्ष महोदय से समक्ष प्रस्ताव आदेशार्थ प्रेषित है। सहमति की दशा में पत्रावली अग्रसारित करने का कष्ट करे।


जितेंद्र सिंह
सम्पत्ति लिपिक


सम्पत्ति अधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर


24/05/22
ES


24/05/22


24/5/2022

→ वॉर्ड ब्लॉक में विवाद के निपटारे हेतु 73J, 73E, 73G को आरक्षित किया गया था। किंतु उपर्युक्त दस्तावेजों के अभाव में आवंटियों द्वारा 73G के आकार पर आपत्ति उठाने लगी है तथा अन्य भूखण्ड का समन्वित करने का अनुरोध किया गया।

→ वकील के समक्ष दस्तावेजों से आज बातचीत की गयी। विवादित प्लॉट square shape के थे तथा उनकी वंशपरिचय शब्दावली के अभाव में समन्वित किए जाने का अनुरोध संबंधित पक्षों को किया गया। 73J, 73E पर किसी भी आपत्ति नहीं है। इन दो भूखण्डों के विपरीत विवादित भूखण्ड 73D व 73H हैं। 73D का खूबका 282.02 m² है तथा 73H का खूबका 302.76 m² है। विवादित प्लॉट 20 m² के आसपास है इसलिए 73D निम्नका खूबका कम है उसे समन्वित किया जाना संबंधित पक्षों को करना पड़ेगा। यह बात शर्त के अन्तर्गत होगी कि आवंटियों के पूरा Allotment/Leasing से अतिरिक्त अतिरिक्त ही भूजा जाया तथा शेष अतिरिक्त को 73E/73B में समाप्त किया जाएगा जिससे कि संबंधित पक्षों को कोई निजी हानि न हो।


→ अतः निर्णय जनहित में आवंटियों से 15 वर्ष के अग्रिम विवाद के निपटारे हेतु निम्न वास्तु हैं। इसकी स्वीकृति भोगनी वॉर्ड ब्लॉक में ही जायेगी तथा तभी उसके बाद रजिस्ट्री/कब्जा की कार्रवाई की जायेगी। वॉर्ड का निर्माण सही ढंग से होना चाहिए।


सम्पत्ति अधिकारी/ए/ए/म/०/त/चिव


प्राधिकरण बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम सं० 64/05 के निर्णयानुसार ट्रांसपोर्ट नगर योजनाके अर्न्तगत राकेश कैमिकल से विवादित भूखण्डों का अन्य रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन/आवंटन की कार्यवाही दिनांक 24.05.2022 को लॉटरी के माध्यम से किये जाने निर्धारित थी। बोर्ड बैठक के निर्णयानुसार भूखण्ड सं० बी-16, बी-21 व बी-25 को परिवर्तित किये जाने हेतु भूखण्ड सं० 73(ई), 73(जी) व 73(जे) आरक्षित किये गये थे। किन्तु भूखण्ड सं० 73(जी) का आकार तिकाना होने के कारण आवंटियों के द्वारा उक्त भूखण्ड को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित न किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए भूखण्ड सं० 73(डी) को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया। राकेश कैमिकल से प्रभावित अन्य सी श्रेणी के भूखण्ड आवंटियों के द्वारा भूखण्ड परिवर्तन किये जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की गयी जिस कारण इन सी श्रेणी के भूखण्डों को परिवर्तन/लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित भूखण्डों का विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड सं०	पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड की सं०	परिवर्तित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का बढा क्षेत्रफल जिसका भुगतान
1	श्री नरेन्द्र कुमार	बी-16	250 वर्ग मीटर	73(जे)	258.38 वर्ग मीटर	8.38 वर्ग मीटर
2	श्री प्रदीप पवार	बी-21	246.16 वर्ग मीटर	73(ई)	244.17 वर्ग मीटर	1.99 वर्ग मीटर कम
3	श्री दिनेश कुमार	बी-25	246.33 वर्ग मीटर	73(डी)	282.02 वर्ग मीटर	35.69 वर्ग मीटर

उक्त भूखण्ड आवंटन/परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात पत्रावली प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


24/5/22
जितल सिंह
सम्पत्ति लिपिक


24/5/22
सम्पत्ति अधिकारी
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर


24/05/22
EB


24/5/22

- प्रस्ता सं० 03 की रजिस्ट्री व भुकी है। 24/5/2022
प्रस्ता सं० 03 पर आवंटी का मूल आवंटित क्षेत्रफल ही
दिनांक तथा क्षेत्रफल बढा हुआ क्षेत्रफल प्राप्त हो
हुए प्रस्ता 73(डी) में समाप्त किया गया।

- उक्त का अनुदान राजस्व बैंक में करा गया।
जिस पर तभी रजिस्ट्री/कब्जा की कार्यवाही की जाएगी।

- रजिस्ट्री व पूर्व पुरानी रजिस्ट्री मूल रूप में अपेक्ष प्राप्त की जायेगी।

24/5/22

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या 67/03

विषय : राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भूउपयोग के भूउपयोग परिवर्तन/संशोधन कराये जाने के संबंध में।

कृपया परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक के एजेन्डा आईटम संख्या 65/01 पर पारित प्रस्ताव (संलग्नक-1) का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसकी पुष्टि विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक(संलग्नक-2) में की गयी है।

उपरोक्त बैठकों के उक्त प्रस्तावों के माध्यम से स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर द्वारा जुबली पार्क की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण हेतु जुबली पार्क के खसरा नं0 959 की 7000.00 वर्गमी0 भूमि का विद्यमान भू-उपयोग "पार्क/प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" को "कॉमर्शियल" भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। साथ ही उक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के सापेक्ष नगर आयुक्त, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि मानकमऊ में गौरी शंकर इण्टर कालेज के सामने खसरा नं0 364 की लगभग 7480.00 वर्गमी0(खुदान) की भूमि को "पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" में आरक्षित करने हेतु का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। बोर्ड के अनुमोदन के क्रम में उक्त प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा13(2) के अधीन दिनांक 08.04.2021 को प्रेषित किये गए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा उक्त स्थल पर पूर्व प्रेषित प्रस्ताव "कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग" के स्थान पर अब केवल "पार्किंग" का प्राविधान किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निम्नानुसार संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-

- 1- स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत जुबली पार्क की भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग निर्माण हेतु जुबली पार्क के खसरा नं0 959 की 7000.00 वर्गमी0 भूमि को विद्यमान भू-उपयोग "पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" को "यातायात/परिवहन" भू-उपयोग में पार्किंग उपयोग में परिवर्तित कराये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13(2) के अधीन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।
- 2- साथ ही मानकमऊ में अमर शहीद इण्टर कालेज के पास स्थित खसरा नं0 364 भूमि क्षे0 7480.00 वर्गमी0(खुदान) को वैकल्पिक भूमि के रूप में "पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" में आरक्षित करने हेतु पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को यथावत रखने हेतु प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।






एजेन्डा नोट

आईटम संख्या : 65/01 (परिचालन के माध्यम से)

विषय:- राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग के भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनांक 03.01.22 के एजेन्डा आईटम संख्या-64/11(संलग्नक-1) पर निम्न प्रस्ताव रखा गया था -

"आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर मण्डल/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2021 तथा 28.09.2021 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार जुबली पार्क नेहरू मार्केट की भूमि पर मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जुबली पार्क क्षेत्र और अम्बाला रोड बस स्टैण्ड की भूमि का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अन्तर्गत खुला क्षेत्र है। इसके भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा। तदोपरान्त प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

तदक्रम में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2021 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्ररनगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा के क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-1933/स0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर को कतिपय बिन्दुओं के अनुसार सूचनायें/विवरण सम्पूर्ण अभिलेखों सहित प्रस्ताव को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-353/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से जुबली पार्क सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग एवं कार्यालय पत्र संख्या-356/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 17.12.2021 के माध्यम से दिल्ली बस स्टैण्ड अम्बाला रोड, सहारनपुर की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लेक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु वांछित अभिलेखों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

1- जुबली पार्क के खसरा नं0-959 की 7000.00 वर्ग मी0 भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से मानकमऊ में गौरी शंकर इण्टर कॉलेज के सामने खसरा नं0-364 की लगभग 7480.00 वर्ग मी0 (खुदान) की भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2- दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, सहारनपुर के खसरा नं0-1174 की 8000.00 वर्ग मी0 भूमि का विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने का प्रस्ताव है। महायोजना में प्रस्तावित खुले स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नगर निगम द्वारा उतनी ही अतिरिक्त भूमि महायोजना में आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या-362/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2021-22 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से ग्राम चकहरेटी में खसरा नं0-80म0 की लगभग 6150.00 वर्ग मी0 (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा नं0-194 क्षेत्रफल 2560.00 वर्ग मी0 (नवीन परती) की भूमि सहित कुल 8710.00 वर्ग मी0 भूमि को नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में वैकल्पिक भूमि के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

(Signature)

३

उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आवश्यकता के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक मण्डल द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में दिए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित निर्माणों हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में प्रसंगगत भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग ओपन स्पेस को कॉमर्शियल में परिवर्तित कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.2021 के साथ संलग्न कार्यवृत्त के प्रस्तर (1.8) के अनुसार आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।”

उक्त प्रस्ताव को मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया था (संलग्नक-2)।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के पत्रांक 142/अमृत-महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021-22 दिनांक 21.12.201(संलग्नक-3) के साथ संलग्न कार्यवृत्त के प्रस्तर (1.8) के क्रम में बोर्ड द्वारा सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि० द्वारा प्रस्तावित उक्त परियोजनाओं के सापेक्ष आवश्यक भूउपयोग परिवर्तन को महायोजना-2031 के ड्राप्ट प्रारूप की प्रदर्शनी के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रदर्शित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया था। आपत्ति/सुझाव हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली महायोजना में उक्त भूउपयोग परिवर्तन को समायोजित किया जा सकेगा।

अवगत कराना है कि अमृत योजना के अन्तर्गत सहारनपुर विकास क्षेत्र की जी०आई०एस० बेस्ड महायोजना-2031 तैयार किये जाने की कार्यवाही “ऑलमण्डज ग्लोबल इन्फ्रा०, कन्सलटेन्ट लि०” के माध्यम से प्रचलित है। कन्सलटेन्ट फर्म द्वारा महायोजना-2031 के ड्राप्ट प्रारूप तैयार किया जा चुका है जिसे दिनांक 03.01.2022 में सम्पन्न हुई प्राधिकरण की बोर्ड की 64वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 64/12 में जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु रखा गया था। मा० बोर्ड द्वारा जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 07.01.22 से 30 दिन तक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु 07 स्थानों पर प्रदर्शनी लगायी गयी थी। जनता की मांग पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु समयावधि दिनांक 18.04.2022 तक बढ़ाई गयी जिसमें ईमेल, साधारण डाक, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को एक पंजिका में दर्ज किये जा रहे हैं। उक्त आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से सुनवाई होने के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा। उक्त कार्यवाही में काफी समय लगने की संभावना है जबकि नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि०, सहारनपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 902/वै०स०/2021-22 दिनांक 07 मार्च, 2022(संलग्नक-4) द्वारा उक्त स्थलों का भूउपयोग शीघ्र परिवर्तन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिससे कि मौके पर परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा सके।

उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने के साथ जनहित में आवश्यकता के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक मण्डल द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में दिए गए अनुमोदन एवं परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त निर्देशों के क्रम में स्मार्ट सिटी, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित निर्माणों हेतु -


क- वर्तमान महायोजना-2021 में निम्न भूमि/स्थल के विद्यमान भू-उपयोग “पार्क, प्ले-ग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस” को “कॉमर्शियल”(संलग्नक-5) में परिवर्तित कराये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-13(2) के अधीन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु परिचालन पद्धति से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।


(1) जुबली पार्क के खसरा नं०-959 की 7000.00 वर्ग मी० भूमि (संलग्नक-6)







- (2) दिल्ली बस स्टैण्ड, अम्बाला रोड, सहारनपुर के खसरा नं०-1174 की 8000.00 वर्ग मी० भूमि(संलग्नक-7)
- (ख) नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर के पत्रांक 396/सम्प०अनु०/न०नि०सहा० दिनांक 31.12.2021(संलग्नक-8) एवं पत्रांक 362/सम्प०अनु०/न०नि०सहा०/2021-22 दिनांक 18.12.2021(संलग्नक-9) द्वारा अवगत करायी गयी वैकल्पिक भूमि को "पार्क, प्ले-ग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" में आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड से स्वीकृति उपरान्त शासन को प्रेषित किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्ताव।
- (1) मानकमऊ में अमर शहीद इन्टर कालेज के पास स्थित खसरा संख्या 364 भूमि क्षेत्र 7480वर्गमी०(खुदान)
- (2) ग्राम चक हरेटी 80म 6150 वर्गमीटर (सम्पत्ति ग्राम समाज) व खसरा सं० 194 क्षेत्र 2560 वर्गमीटर (नवीन परती)



(अनिल कुमार मिश्रा)
अधिशाली अभियन्ता



(विजय कुमार सिंह)
नगर नियोजक


(किंशुक श्रीवास्तव)
सचिव



(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष


निर्णय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव को यथावत् स्वीकृत किया गया।



(सी०पी०सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता
प्रतिनिधि- प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०



(रुचिन यादव)
अधिशाली अभियन्ता
प्रतिनिधि- प्रबन्ध निदेशक,
जल निगम, उ०प्र०


(के०मोहन)
प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उ०प्र०, लखनऊ।


(गोविन्द शुक्ला)
अपर निदेशक कोषागार, सहा०
प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन, लखनऊ।


(ज्ञानेन्द्र सिंह)
नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।


(आशीष कुमार)
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।


(अखिलेश सिंह)
जलाधिकारी,
सहारनपुर।


(ल०के०एस०एम०)
अध्यक्ष/आयुक्त
विकास प्राधिकरण/सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	एजेन्डा	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
66/01	दिनांक 03.01. 2022 को सम्पन्न हुई 64वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।		मा० बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या की पुष्टि की गयी।
	दिनांक 08.04. 2022 को के परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई 65वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।		मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
66/02	वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सहारनपुर विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ें एवं वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित आय-व्यय अनुमान (संलग्नक- 02.1), मा० बोर्ड के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि यथोचित विचारोपरान्त प्रस्तुत आंकड़ों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।	मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

३१

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या 67/04


विषय : सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव


कृपया अवगत कराना है शासकीय अधिसूचना संख्या 721/9-आ-5-95-68डी.ए./83 दिनांक 03 मई, 1995 के द्वारा सहारनपुर विकास क्षेत्र घोषित किया गया था, जिससे पूर्व में अधिसूचित विनियमित क्षेत्र (सहारनपुर नगर पालिका के सीमा के अन्तर्गत आने वाले तथा उसके आसपास 102 राजस्व ग्रामों) को ही यथावत रखा गया। पुनः आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 से जारी अधिसूचना संख्या 274/आठ-10-16-3गठन/2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा में 42 ग्रामों को सम्मिलित किया गया।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार पूर्व में वर्ष 2016 में हुआ था। तब से अब तक बाहरी क्षेत्रों में व सीमा से बाहर विभिन्न विकास कार्य जनपद में हुए हैं जिसका असर जनपद के विकास पर हो रहा है। उदाहरणतः दिल्ली यमनौत्री हाईवे निर्माण, अम्बाला-देहरादून बाईपास निर्माण, जनता रोड पर विश्वविद्यालय निर्माण, पिलखनी में डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर का प्रस्तावित डिपो, सरसावा से सिविल एयरपोर्ट का निर्माण, दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कोरिडोर का निर्माण आदि। उक्त विकास कार्यों के कारण प्राधिकरण सीमा से बाहर आर्थिक गतिविधियों में बढोत्तरी हुई है जिसे शुरुवात से ही नियोजित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

साथ ही उक्त निर्माण/ विकास कार्यों के फलस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित होने की प्रबल संभावना है। भविष्य में अनाधिकृत रूप से संचालित होने वाले आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा के विस्तार की आवश्यकता है। इस हेतु प्राधिकरण का सीमा विस्तार कर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निम्न 31 राजस्व ग्रामों को लाया जाना आवश्यक है :-

क्र०सं०	मार्ग का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम
01	जनता रोड़	चंद्रावली	सहारनपुर सदर
		आसनवाली	
		रावमजरा	
		पुवारका	
		लखनौती कलां	
		हीराहेडी	
		लखनौती खुर्द	
		बिशनपुर	
		लडवा	
02	अम्बाला रोड़	सौराना	नकुड़
		सरूरपुर गाड़ा	
		अलीपुरा	
		अहमदपुर ब्राह्मण	
		रजधान	
		सरसोहेडी	
गोविन्दपुर			


6/8/22


6/8/22






03	देहरादून रोड़	दिनारपुर अहत0	सहारनपुर सदर
		दिनारपुर मुस्त0	
		हरौडा अहत0	
		हरौडा मुस्त0	
		गागलहेडी मुस्त0	
		महमूदपुर तिवाई अहत0	
		महमूदपुर तिवाई मुस्त0	
		सोना	
		माण्डेबांस	
		04	
फतेहउल्लापुर			
मुगलमजरा			
खटकाहेडी			
दीपाखेड़ी			
05	नकुड़ रोड़	कुम्हारहेड़ा	नकुड़


उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में सहारनपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत 02 ग्राम पूर्व में अधिसूचित होने के शेष रह गये हैं जिनको प्राधिकरण क्षेत्र में लाया जाना आवश्यक है :-

- 1- उग्राहू अहत0 तहसील सदर, सहारनपुर।
- 2- मिर्जापुर तहसील नकुड़, सहारनपुर।

उक्त सभी ग्रामों की जांच संबंधित तहसील, सहारनपुर सदर (संलग्नक-1), नकुड़ (संलग्नक-2), रामपुर मनहारान(संलग्नक-3) से करा ली गयी है।

अतः उक्तानुसार 33 ग्राम सहारनपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।


6/8/22
डे. सि. ले. प. म.


6/8/22
स. र. म.




कार्यालय तहसील, सहारनपुर

दिनांक:- 20-7-2022

पत्रांक 430 / रा0नि0(का0)

विषय:- सहारनपुर विकास प्राधिकरण का के संबंध में।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार पूर्व में वर्ष 2016 में हुआ था। तब से अब तक बाहरी क्षेत्र में व सीमा से बाहर विभिन्न विकास कार्य जनपद में हुए हैं जिसका असर जनपद के विकास पर हो रहा है। उधारणतः जनता रोड पर विश्वविद्यालय निर्माण, पिलखनी में डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर के डिपो का निर्माण, दिल्ली यमनोत्री हाईवे निर्माण, अम्बाला देहरादून बाईपास निर्माण आदि। उक्त विकास कार्यों के कारण प्राधिकरण सीमा के बाहर आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है जिसे शुरुआत से ही नियोजित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस हेतु प्राधिकरण की सीमा विस्तार कर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में इन ग्रामों का सत्यापन चाहा गया है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि तहसील सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार के संबंध उक्त ग्रामों की सूची का सत्यापन निम्नवत है:-

जनता रोड पर ग्राम

क्रमांक	नाम ग्राम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल (हे०में)	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चन्द्रावली	218.506	चन्द्रोली का शुद्ध नाम चन्द्रावली है।
2	आसनवाली	239.673	
3	रावमजरा	37.123	रावा मजरा का शुद्ध नाम रावमजरा है।
4	पुवारका	499.505	
5	लखनौती कलां	205.249	
6	हीराहेडी	126.133	
7	लखनौती खुर्द	247.340	
8	बिशनपुर	92.572	
9	लडवा	148.704	

देहरादून रोड पर ग्राम

क्रमांक	नाम ग्राम	ग्राम का कुल क्षेत्रफल (हे०में)	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	उग्राहू अहत0	114.831	
2	दिनारपुर अहत0	26.938	
3	दिनारपुर मुस्ता0	91.750	

496
21/7/22

समिव
25/7/22
उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण

कलहना
25/7/22
समिव

4	हरौडा अहत0	254.897	
5	हरौडा मुस्त0	274.418	
6	गागलहेडी मुस्त0	167.257	
7	महमूदपुर तिवाई अहत0	115.935	
8	महमूदपुर तिवाई मुस्त0	127.481	
9	सोना	125.066	
10	माण्डेबांस	221.088	सूची मे ग्राम माण्डेबांस का नाम छूट गया है जिसके जोडा जाना उचित है।

आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

1- उपजिलाधिकारी महोदया सदर सहारनपुर को सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार
सहारनपुर।

तहसील बेहट


तहसील : सहारनपुर
जिला : सहारनपुर

समाना 23-1-1951

उत्तर

मौजिया - इलाका

सहस्रौल बाहुक



सहस्रौल कुवबन्द

सहस्रौल
सहारनपुर

क्रमांक	पिण्ड का नाम	क्षेत्रफल
1	नधि/महर	
2	सहस्रौल	
3	सहस्रौल	
4	सहस्रौल	
5	सहस्रौल	
6	सहस्रौल	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

कार्यालय तहसीलदार नकुड़ सहारनपुर।

(ई-मेल : rkofficenakur@gmail.com)

पत्रांक : 9253 / रा0नि0(का0)

दिनांक : जुलाई 12, 2022

विषय : अम्बाला रोड पर सहारनपुर से सरसावा व नकुड़ रोड पर सहारनपुर से फन्दपुरी तक सडक से दोनो ओरं पडने वाले ग्रामों की सूची मानचित्र सहित उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव,
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पत्र संख्या 808/स0वि0प्रा0/महायोजना-2031/2022 दिनांक 12.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार हेतु अम्बाला मार्ग पर स्थित ग्रामों के सम्बन्ध में बिन्दुवार जांच आख्या चाही गई है। जो निम्न प्रकार है -

1- प्रस्ताव में उल्लिखित राजस्व ग्राम प्राधिकरण सीमा से लगते हुये शुरू होते हुए निरन्तर है तथा कोई ग्राम बीच में छूटा नहीं है। सम्बन्धित ग्रामों का नजरी नक्शा सलंगन है।

2 व 3- राजस्व ग्राम की Spelling व क्षेत्रफल सम्बन्धी सूचना।

क्र0सं0	सूची में दर्ज ग्राम का नाम	शुद्ध नाम	ग्राम का क्षेत्रफल (हे0में)	विवरण
1	2	3	4	5
1	सौराना	सौराना	317.5905	-
2	सररपुर गाडा	सररपुर गाडा	130.2290	-
3	अलीपुरा	अलीपुरा	183.7610	-
4	अहमदपुर ब्राह्मण	अहमदपुर ब्राह्मण	87.8760	-
5	रजधान	रजधान	164.523	-
6	सरसोहेडी	सरसोहेडी	251.433	-


4- ग्राम गोविन्दपुर कुल क्षेत्रफल 138.438 हे0 अम्बाला मार्ग पर स्थित है। जिसकी सीमा दक्षिण में सरसोहेडी व पूर्व में ग्राम सौराना से मिली हुई है। जिसे सहारनपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

A
तहसीलदार
नकुड़।


प्रतिलिपि - उप जिलाधिकारी नकुड़ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

/
तहसीलदार
नकुड़।



नमशा-नजरी. अम्बाला मार्ग पर नदने वाले परामांन नकुड डे, शुभ

गाम पिलखना
कान्वाल
तहसील-सदर
रो-सम्बन्धन



Signature
21/10/22

21/10/22

कार्यालय तहसीलदार नकुड़, जिला सहारनपुर।

पत्रांक- 1808/स0वि0(कग0)

दिनांक- 05 अगस्त, 2022

विषय- अम्बाला रोड पर सहारनपुर से रास्तागा व नकुड़ रोड सहारनपुर से फन्दपुरी तक रास्ते से दोनों ओर पड़ने वाले ग्रामों की सूची प्राथमिक शिष्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

राशिप
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।
महोदय


कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर के पत्र संख्या भीमो/स0वि0/2022-23 दिनांक 05.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने को कष्ट करे जिसके अन्तर्गत सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार हेतु अम्बाला मार्ग पर स्थित ग्रामों के सम्बन्ध में विन्दुवार जांच आख्या चाही गई है। जो निम्न प्रकार है -

1- प्रस्ताव में उल्लिखित राजस्व ग्राम प्राधिकरण सीमा से लगते हुये गुरु होते हुए निरन्तर है तथा कोई ग्राम बीच में छूटा नहीं है। सम्बन्धित ग्रामों का नजरी नक्शा संलग्न है।


2 व 3- राजस्व ग्राम की Spelling व क्षेत्रफल सम्बन्धी सूचना।

क्र.सं0	सूची में दर्ज ग्राम का नाम	शुद्ध नाम	ग्राम का क्षेत्रफल (हे0)	विवरण
1	2	3	4	5
1	कुम्हारहेडा	कुम्हारहेडा	395.002 हे0	ग्राम कुम्हारहेडा की घण्टाघर सहारनपुर से दूरी लगभग 8 कि0मी0 है।
2	मिर्जापुर	मिर्जापुर	26.526 हे0	ग्राम मिर्जापुर अम्बाला रोड से 1.5 कि0मी0 की दूरी पर है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।


तहसीलदार
नकुड़।

प्रतिलिपि - उप जिलाधिकारी नकुड़, महोदय की सेवा में सादर सूचनाार्थ प्रेषित।


तहसीलदार
नकुड़।

गणना-मजरी

आय-कुटुंबादिका ५० नं. त. - १३५

पिछले मजरी

आय का कुल अं. = २१६.००२ रु.
मजरी (मजरी) १५३.३१६ रु.
शेष = ६२.६८६ रु.
शेष का नया मजरी

शेष का नया मजरी

शेष का नया मजरी (नया मजरी)

०१	०१
०२	०२
०३	०३
०४	०४
०५	०५


शेष का नया मजरी

शेष का नया मजरी

शेष का नया मजरी (नया मजरी)


शेष का नया मजरी (नया मजरी)

०५/०८/२०२२
शेष-कुटुंबादिका



नामदी किम्बा नावा गणतंत्र मिर्जापूर जिल्हा
 मराठी भाषा मंडळ

क्र. ६११७
 ००२२
 १०/०८/२०२२
 १०/०८/२०२२



क्र. सं.	गावचा नाव	गावचा समूची क्षेत्रफळ	विवरण
१	मिर्जापूर	२६.५२६ हेक्टर	मिर्जापूर गाव मिर्जापूर सी. जिल्हा तहसील क्षेत्री १.५ मि.मी. ए.।

मिर्जापूर
 ०८/०८/२०२२
 मनीषा कुमारे
 मनीषा
 ०००-००० (००००००)

महोदय,

संलग्न पत्र संख्या 1756/राजि०/आठ दिनांक 23 जुलाई 2022 का मखलोकन करना चाहे जिसके अन्तर्गत राधरामपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार पूर्व 2016 में किया गया था तब से अब तक बाहरी क्षेत्रों में बहर विभिन्न विकास कार्य जनपद में हुये हैं जिसका असर जनपद विकास पर हो रहा है इस हेतु प्राधिकरण की सीमा विस्तार कर क्षेत्रीय आधार में इन क्षेत्रों को समाजित करना आवश्यक है अतः तहसील राधरामपुर मनिहासन के विभिन्न विधित्त ग्रामों को प्राधिकरण सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया गया है पिपली रोड पर ग्राम जनचेडा समसपुर - फतेह उल्लापुर मुगलमजरा अक्काहेडी उपरोक्त ग्रामों के प्रस्ताव के अतिरिक्त बिन्दुओं पर आख्या जारी है जो निम्न प्रकार है।

① प्रस्ताव में उल्लिखित राजस्व ग्राम प्राधिकरण सीमा से लगते हुये सुर होते हुये निरन्तर है या कोई ग्राम बीच में टूट नहीं उबलताओं में ग्राम-दीपाखेडी हूला हुआ है।

② उक्तताओं के नाम क्रमशः दीपाखेडी - मुगलमजरा-जनचेडा समसपुर फतेह उल्लापुर - अक्काहेडी नाम सुद्ध है।

③ राजस्व ग्राम का क्षेत्रीय क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल निम्न है।

- ① दीपाखेडी - 128.912 हे०
- ② मुगलमजरा - 86.783 हे०
- ③ जनचेडा समसपुर - 645.998 हे०
- ④ फतेह उल्लापुर - 70.583 हे०
- ⑤ अक्काहेडी - 166.497 हे०

④ पत्र में उल्लिखित राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त ग्राम-दीपाखेडी बीच में हूला है जिसको जोड़ना उचित होगा

आख्या सेवा में सादर उचित।

प्रतिपद प्रमुख
 23/7/22
 तहसील राधरामपुर
 मनिहासन

महोदय

लेखपाल ज्ञान आख्या सादर उचित।

ॐ

01/8/22

RJY

महोदय

रा. नि. आठ का सादर उचित।

प्रमुख
 01/8/22
 150

1297
 11/8/22

एजेन्डा नोट

आईटम संख्या 67/05

विषय : विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व शमन मानचित्र संख्या 601/2018-19/जोन-4 स0वि0प्रा0 बनाम श्रीमती आकांक्षा ठकराल के द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमती आकांक्षा ठकराल पत्नि श्री मानिक ठकराल, राजेश भाटिया एण्ड सन्स, विजय कुमार भाटिया एण्ड सन्स, अभिषेक भाटिया एण्ड सन्स, श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री हंसकुमार अग्रवाल एवं श्रीमती चांदनी अग्रवाल पत्नि श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा ओल्ड एमपीएल नम्बर 2/2462 एवं न्यू नगर निगम नम्बर 2सी/3469, दरा पठानपुरा दर आबादी गिल कॉलोनी, कोर्ट रोड नियर हाथी गेट सहारनपुर में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 के अनुसार भूतल व प्रथम तल पर व्यवसायिक क्रिया संचालित है, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय तल पर अतिथि गृह का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 (क्षेत्रफल 459.81 वर्गमीटर) स्वीकृति हेतु दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्यानसार सहारनपुर महायोजना-2021 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्दिष्ट है तथा प्रस्तावित क्रिया "अतिथि गृह" निर्मित क्षेत्र भूउपयोग में विशेष अनुमति से अनुमन्य है। प्रश्नगत स्थल पर उक्त क्रिया को स्वीकृति दिये जाने से पूर्व जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार दो दैनिक समाचार पत्रों में "दैनिक मनीष टाईम्स दिनांक 27.04.2022 व हिन्दुस्तान दिनांक 27.04.2022" को विज्ञापित प्रकाशन किया गया था। उक्त प्रकाशन के क्रम में प्रकरण में 03 आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1. आपत्तिकर्ता श्री रोहित भटनागर, 28 म्युनिसिपल कॉलोनी, बाबा लालदास रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 20.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि :-
 - (अ) मानचित्र संख्या 601/2018-19 में द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह संचालन हेतु संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह का कोई संचालन नहीं है।
 - (ब) प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में द्वितीय व तृतीय तल पर होटल ग्राण्ड मौर्या व रेस्टोरेन्ट टेरेस बिस्ट्रो अनाधिकृत रूप से संचालित है तथा अतिथिगृह के रिक्त भवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे शमन किया जा सकें।
 - (स) प्रश्नगत शमनित भवन शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 में व्यवसायिक भूतल व प्रथम तल में पीछे, साईड-1 व साईड-2 के सैटबैक को शमन कर ध्वस्तीकरण हेतु शपथ पत्र लिया गया था, जिसे वर्तमान तक शपथ पत्र के अनुसार ध्वस्त नहीं किया गया है तथा उक्त भवन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अध्याय-19 के अनुसार सैटबैक विद्यमान नहीं है।
2. आपत्तिकर्ता श्री अवनीश कुमार, ग्राम व डाक सौराना, सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उक्त मानचित्र से सम्बन्धित भवन शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 (क्षेत्रफल 459.81 वर्गमीटर) के अनुरूप नहीं बना है और न ही ध्वस्त किये जाने वाले भाग को ध्वस्त किया गया है। खास है कि जब तक भवन का भूतल और प्रथम तल शमन मानचित्र के अनुरूप न हो तब तक द्वितीय और तृतीय तल पर मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
3. आपत्तिकर्ता श्री शंशाक शर्मा, सह संपादक(दैनिक अमर चिंगारी), कोर्ट रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 11.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि आपत्तिकर्ता को तीसरे तल पर लॉज बनाने पर आपत्ति है क्योंकि भूखण्ड के पीछे आवासीय क्षेत्र है। भूखण्ड के द्वितीय व तृतीय तल पर व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा सकता। लॉज या होटल बनाने के लिए सराय एक्ट के अनुसार अनुमति, अग्निशमन से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं। सहारनपुर महायोजना-2021 के तहत मानचित्र बनाने वाले आर्किटेक्ट से पूर्णता प्रमाण पत्र भी लिया जाना आवश्यक है।

Onkar

Onkar

Onkar

आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति एवं प्रकरण के परीक्षण हेतु सहारनपुर महायोजना-2021 के पेज-72 प्रस्तर संख्या-4.1 पर विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं के संबंध में निम्न समिति गठित है (संलग्नक-1) :-

(अ) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उपाध्यक्ष द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, नगर नियोजक को नामित किया गया है।

(ब) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्रांक 574/कैम्प/प्राधि. बैठक(नामित)/टीसीपी/2022-23 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा श्रीमती स्मिता निगम, सहायक नगर नियोजक, मुख्यालय लखनऊ को नामित किया गया।

(स) अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में श्री अमित गगनेजा को नामित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त समिति द्वारा दिनांक 08.07.2022 को अपरान्ह 3.30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसकी आख्या निम्नवत है (संलग्नक-2) :-

“प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 08.07.2022 को अपरान्ह 3.30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी, जिसमें मात्र एक आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार उपस्थित हुए। आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार को सुना गया। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा मुख्यतः प्रश्नगत निर्माण के पूर्व स्वीकृत एवं शमनित मानचित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि द्वितीय तल व तृतीय तल पर अवैध रूप से होटल एवं ब्रिस्टो टैरेस संचालित होने व अशमनीय निर्माण को वर्तमान तक भी ध्वस्त नहीं किये जाने की शिकायत की गयी है। निर्माणकर्ता द्वारा द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह की प्रस्तावना हेतु मोडिफाईड संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्माण का शमन किये जाने हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि आवेदक द्वारा शमन प्रस्ताव के साथ पूर्व में ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित निर्माण को एक माह में ध्वस्त किये जाने हेतु शपथ प्रस्तुत किया है। अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रश्नगत प्रकरण को शमन किये जाने हेतु विशेष अनुमति हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाएगा। अतः उक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निक्षेपित की जाती है।”

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिथि गृह की स्वीकृति हेतु संशोधित शमन मानचित्र के सम्बन्ध में दिनांक 18.07.2022 को अपरान्ह 2.30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसकी आख्या निम्नवत है (संलग्नक-3) :-


“प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिथि गृह की स्वीकृति हेतु संशोधित शमन मानचित्र के संबंध में दिनांक 18.07.2022 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर अपरान्ह 2.30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसमें निर्णयानुसार शमन मानचित्र में दर्शित टू-बी डिमोलिश भाग को एक माह के अन्दर स्वयं ध्वस्त करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा एवं टू-बी डिमोलिश भाग को तोड़ने के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी से सम्बन्धित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार अतिथि गृह क्रिया निर्मित क्षेत्र भू-उपयोग में विशेष अनुमति से अनुमन्य है।”

सहारनपुर महायोजना-2021 के पेज-72 प्रस्तर संख्या-4.1 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं में निर्देशित किया गया है कि विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मागले में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में उपर्युक्त संदर्भित शमन मानचित्र के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय तल पर “अतिथि गृह” क्रिया की प्रस्तावना को सहारनपुर महायोजना-2021 में दिये गये प्राविधानानुसार विशेष अनुमति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।







14. ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण।
15. केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर।
16. पाँच हार्स पावर तक (अनुलग्नक 2 के अनुसार)।
17. राइट ऑफ वे के बाहर।
18. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक।
19. अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर।
20. अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन का 10 प्रतिशत।
21. केवल आनुषांगिक उपयोग हेतु।
22. केवल खुले रूप में एवं अस्थायी।
23. केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित।
24. न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर केवल 3 स्टार तक।
25. न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर 3 स्टार से अधिक।
26. 10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक 3) के अनुसार।
27. नवीन टाउनशिप/योजना के भाग के रूप में।
28. महायोजना में बाजार क्षेत्र के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार।
29. यातायात नगर एवं बस स्टैण्ड के भू-विन्यास के अनुसार।
30. अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 10 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम केवल औद्योगिक इकाई के उत्पाद के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु।
31. महायोजना की नीतियों के अनुरूप।

4.0 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं :

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जायेगी।

1. विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

- (अ) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
- (ब) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।
- (स) अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी।

- (I) प्रमुख भू-उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थावनाओं तथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
 - (II) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संचालन तथा प्राइवैसी भंग न हो।
 - (III) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुँआ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
 - (IV) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथक रूप में स्थित हो।
 - (V) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृत इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि भवन का अधिकतम एफ0ए0आर0 एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग अथवा प्रस्तावित क्रिया में से जो भी कम हो, के प्राविधानों के अंतर्गत है।
 - (VI) प्रमुख भू-उपयोग जैसे कृषि हरित पट्टी, हरित पट्टी, पार्क एवं खुले स्थल जो सामान्य रूप से खुले क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित हैं में यदि विशेष अनुमति से कोई क्रिया अनुमन्य की जाती है तो प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित क्रिया का अधिकतम आच्छादन एवं अधिकतम एफ0ए0आर0 महायोजना में प्रस्तावित नीतियों के अनुरूप अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया को अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सैट बैंक इत्यादि में दर्शायी गयी भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर आवेदक द्वारा प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
 3. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गयी क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के आनुषंगिक अन्य क्रियायें जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।


शर्तियाँ : (1) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किये जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 सैट बैंक, पार्किंग आदि के बारे में प्राविधान नहीं है के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी माँग नहीं कर सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय,

कृपया, श्रीमती आकांक्षा ठकराल पत्नि श्री मानिक ठकराल, राजेश भाटिया एण्ड सन्स, विजय कुमार भाटिया एण्ड सन्स, श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री हंसकुमार अग्रवाल एवं श्रीमती चांदनी अग्रवाल पत्नि श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा ओल्ड एमपीएल नम्बर 2/2462 एवं न्यू नगर निगम नम्बर 2सी/3469, दरा पठानपुरा दर आबादी गिल कॉलोनी, कोर्ट रोड नियर हाथी गेट सहारनपुर में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 के अनुसार भूतल व प्रथम तल पर व्यवसायिक क्रिया संचालित है, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय तल पर अतिथि गृह का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 (क्षेत्रफल 459.81 वर्गमीटर) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्या का अवलोकन किया गया। सहारनपुर महायोजना-2021 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्दिष्ट है। प्रश्नगत स्थल पर उक्त क्रिया को स्वीकृति दिये जाने से पूर्व जोनिंग रेगूलेशन के प्राविधानों के अनुसार दो दैनिक समाचार पत्रों में "दैनिक मनीष टाइम्स दिनांक 27.04.2022 व हिन्दुस्तान दिनांक 27.04.2022" को विज्ञापित प्रकाशन किया गया था। प्रकरण में 03 आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. आपत्तिकर्ता श्री रोहित भटनागर, 28 म्युनिसिपल कॉलोनी, बाबा लालदास रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 20.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि
 - (अ) मानचित्र संख्या 601/2018-19 में द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह संचालन हेतु संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह का कोई संचालन नहीं है।
 - (ब) प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में द्वितीय व तृतीय तल पर होटल ग्राण्ड मौर्या व रेस्टोरेन्ट टेरेस बिस्ट्रो अनाधिकृत रूप से संचालित है तथा अतिथिगृह के रिक्त भवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे शमन किया जा सकें।







(स) प्रश्नगत शमनित भवन शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 में व्यवसायिक भूतल व प्रथम तल में पीछे, साईड-1 व साईड-2 के सैटबैक को शमन कर ध्वस्तीकरण हेतु शपथ पत्र लिया गया था, जिसे वर्तमान तक शपथ पत्र के अनुसार ध्वस्त नहीं किया गया है तथा उक्त भवन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के अध्याय-19 के अनुसार सैटबैक विद्यमान नहीं है।

2. आपत्तिकर्ता श्री अवनीष कुमार, ग्राम व डाक सौराना, सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उक्त मानचित्र से सम्बन्धित भवन शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 (क्षेत्रफल 459.81 वर्गमीटर) के अनुरूप नहीं बना है और न ही ध्वस्त किये जाने वाले भाग को ध्वस्त किया गया है। खास है कि जब तक भवन का भूतल और प्रथम तल शमन मानचित्र के अनुरूप न हो तब तक द्वितीय और तृतीय तल पर मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धित कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
3. आपत्तिकर्ता श्री शंशाक शर्मा, सह संपादक (दैनिक अमर चिंगारी), कोर्ट रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 11.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि आपत्तिकर्ता को तीसरे तल पर लॉज बनाने पर आपत्ति है क्योंकि भूखण्ड के पीछे आवासीय क्षेत्र है। भूखण्ड के द्वितीय व तृतीय तल पर व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा सकता। लॉज या होटल बनाने के लिए सराय एक्ट के अनुसार अनुमति, अग्निशमन से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं। सहारनपुर महायोजना-2021 के तहत मानचित्र बनाने वाले आर्किटेक्ट से पूर्णता प्रमाण पत्र भी लिया जाना आवश्यक है।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 08.07.2022 को अपरान्ह 3.30 बजे विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी, जिसमें मात्र एक आपत्तिकर्ता श्री अवनीश कुमार उपस्थित हुए। आपत्तिकर्ता श्री अवनीश कुमार द्वारा आरोपित आपत्ति को गठित समिति द्वारा सुना गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा मुख्यतः प्रश्नगत निर्माण के पूर्व स्वीकृत एवं शमनित मानचित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि द्वितीय तल व तृतीय तल पर अवैध रूप से होटल एवं ब्रिस्टो


— अमर शर्मा


— अमर शर्मा


टैरेस संचालित होने व अशमनीय निर्माण को वर्तमान तक भी ध्वस्त नहीं किये जाने की शिकायत की गयी है। निर्माणकर्ता द्वारा द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह की प्रस्तावना हेतु मोडिफाईड संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्माण का शमन किये जाने हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि आवेदक द्वारा शमन प्रस्ताव के साथ पूर्व में ध्वस्तीकरण हेतु चिन्हित निर्माण को एक माह में ध्वस्त किये जाने हेतु शपथ प्रस्तुत किया है। अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रश्नगत प्रकरण को शमन किये जाने हेतु विशेष अनुमति हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाएगा।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निक्षेपित की जाती है। ११

आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत।


(विजय कुमार सिंह)
नगर नियोजक
प्रतिनिधि उपाध्यक्ष
सहारनपुरम विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर


(अमित गगनेजा)
गैर सरकारी सदस्य प्राधिकरण बोर्ड
नामित प्रतिनिधि मा० आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर


(स्मिता निगम)
सहायक नगर नियोजक
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
लखनऊ।

Put up on file
8/11/20


उपाध्यक्ष
महोदय,


37


शेखर का - 3

कृपया, श्रीमती अंकाक्षा ठकराल पत्नी श्री मानिक ठकराल, राजेश भाटिया एण्ड सन्स, विजय कुमार भाटिया एण्ड सन्स, अभिषेक भाटिया एण्ड सन्स, श्री अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री हंसकुमार अग्रवाल एवं श्रीमती चांदनी अग्रवाल पत्नी श्री अंशुल अग्रवाल द्वारा ओल्ड एमपीएल नम्बर 2/2462 एवं न्यू नगर निगम नम्बर 2सी/3469, दरा पठानपुरा दर आबादी गिल कॉलोनी, कोर्ट रोड नियर हाथी गेट सहारनपुर में सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत व्यवसायिक शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 के अनुसार भूतल व प्रथम तल पर व्यवसायिक क्रिया संचालित है, किन्तु द्वितीय एवं तृतीय तल पर अतिथि ग्रह का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित शमन मानचित्र संख्या 601/18-19 (क्षेत्रफल 459.81 वर्गमीटर) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की आख्या का अवलोकन किया गया। सहारनपुर महायोजना-2021 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्दिष्ट है। प्रश्नगत स्थल पर उक्त क्रिया को स्वीकृति दिये जाने से पूर्व जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार दो दैनिक समाचार पत्रों में "दैनिक मनीष टाइम्स दिनांक 27.04.2022 व हिन्दुस्तान दिनांक 27.04.2022" को विज्ञापित प्रकाशन किया गया था। प्रकरण में डाक लिपिक की आख्यानुसार श्री रोहित भटनागर, 28 म्युनिसिपल कॉलोनी, बाबा लालदास रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 20.05.2022, श्री अवनीश कुमार, ग्राम व डाक सौराना, सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.05.2022 एवं श्री शंशाक शर्मा, सह संपादक(दैनिक अमर चिंगारी), कोर्ट रोड, सहारनपुर द्वारा दिनांक 11.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रकरण में गठित समिति द्वारा दिनांक 08.07.2022 को प्राप्त 03 आपत्तियों का निराकरण करने हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिथि गृह की स्वीकृति हेतु संशोधित शमन मानचित्र के सम्बन्ध में दिनांक 18.07.2022 को सायं 4.00 बजे के स्थान पर अपराह्न 2.30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी। जिसमें निर्णयानुसार शमन मानचित्र में दर्शित टू-बी डिमोलिश भाग को एक माह के अन्दर स्वयं ध्वस्त करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा एवं टू-बी डिमोलिश भाग को तोड़ने के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी से सम्बन्धित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सेपटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार अतिथि गृह क्रिया निर्मित क्षेत्र भू-उपयोग में विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत।


(विजय कुमार सिंह)
नगर नियोजक
प्रतिनिधि उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।


(अमित गगनजा)
गैर सरकारी सदस्य प्राधिकरण बोर्ड
नामित प्रतिनिधि मा0 आयुक्त
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।


(स्मिता निगम)
सहायक नगर नियोजक
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
लखनऊ।

put up in file

Slve